न्यायालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/120/2023	2023/683	10.10.2023	23.07.2024

1. विनोद कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप बैरवा निवासी ग्राम परवैणी, उ.मू.दु. 1/3 भाग, ग्राम पंचायत परबैणी, तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर राज0।

—रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व प्रकरण संख्या 10/2023 निर्णय दिनांक 26.07.2023 जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0 1742/2017 पोस कोड सं0 30193 विधि विरूद्व तरीके से निरस्त किया।

उपस्थितः—
01—श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलांट
02—श्री अशोक कुमार —विभागीय पैरोकार

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

—:निर्णयः—

जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 26.07.2023 को निर्णय पारित कर अपीलांट की उचित मूल्य दुकानदार छोटा राजपुर तह0 रैणी पॉश कोड संख्या 30193 का प्राधिकार पत्र संख्या 1742/2017 तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है, से व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांटान द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.02.2023 को आदेश पारित किया कि प्रवर्तन निरीक्षक रैणी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट उचित मूल्य दुकानदार पॉस कोड सं0 30193 ग्राम पंचायत परवैणी, तहसील रैणी की राशन सामग्री वितरण में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर उक्त डीलर का प्राधिकार पत्र तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उसके उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2023 को आदेश पारित किया कि अपीलांट का प्राधिकार पत्र सं0 1742/2017 को समस्त देनदारिया लंबित रखते हुए निरस्त किया जाता है। जमा समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार की जाती है। जांच रिपोर्ट दि0 28.02.2023 में प्रवर्तन निरीक्षक रैणी द्वारा मनमाने तथ्य दर्ज करते हुए तैयार की गई है। अपीलांट का प्राधिकारी पत्र बिना सुने निलम्बित किये जाने के उपरांत 90 दिवस की अवधि में कोई कारण बताओं नोटिस अपीलांट को जारी नहीं किया गया अपितू 90 दिवस की अवधि पश्चात् दिनांक 08.06.2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका विस्तृत जवाब दि0 05.07.2023 को दिये जाने के बावजूद दि0 26.07.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त फरमाया गया है। निर्णय की जानकारी अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 11.09.2023 को उस समय हुई जब अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में गया, जिस पर वहां मौजूद अधिकारियों ने जाहिर किया कि अपीलांट का प्राधिकार पत्र पर दि0 26.07.2023 को ही निर्णय पारित

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

कर निरस्त किया जा चुका है। अपीलांट ने तुरन्त आलोच्य निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया गया। दि0 12.09.2023 को नकल प्राप्त हुई। जिसके उपरांत अपील अन्दर मियाद नेकनियति से पेश की जा रही है। दि0 26.07.2023 से दि0 11.09.2023 तक का समय लाईल्मी होने के कारण कण्डोन किये जाने योग्य है। जिस हेतु पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र पेश किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा वर्ष 2017 से बिना किसी व्यवधान के उचित मूल्य की सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। दि0 27.02.2023 को मौके पर जांच की गई तो उस समय उचित मूल्य सामग्री यथा गेहूं, कैरोसीन का स्टॉक पूरा था। दुकान पर सूचना पट्ट स्टॉक, रेट का प्रदर्शन हो रहा था। अपीलांट दि0 28.02.2023 को अपनी उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित था तथा दुकान का प्राधिकार पत्र, नक्शा मांगने पर प्रवर्तन निरीक्षक को वक्त जांच पेश किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर ही फर्द मौका तैयार किया गया। वक्त जांच मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं एवं ग्रामीणों द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक को जाहिर किया गया था कि उन्हें अपीलांट से कोई शिकायत नहीं है। जो उचित मात्रा में एवं उचित मूल्य पर, सामग्री समय पर प्रदान करता है। उपस्थित लोगों के फर्द मौका पर हस्ताक्षर कराये गये थे और कुल उपभोक्ताओं के खाली कागजों पर अंगूठे/हस्ताक्षर करवाये गये। जांच रिपोर्ट दि0 28.02.2023 में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मनमाने तथ्य दर्ज करते हुए अपीलांट को बेजा तौर पर तंग व परेशान करने की मंशा से रिपोर्ट तैयार की गई है। उक्त गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर जो आरोप विचरित किये गये थे, वो गंभीर प्रकृति के नहीं थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए व अपीलांट का लाईसेंस निरस्त करने के लिए ही लगाये गय थे। अपीलांट द्वारा उचित मूल्य दुकान की सामग्री का गबन नहीं किया गया है। उपभोक्ता रूपसिंह, शांति देवी, मुंशीलाल मीणा, शिवस्वरूप मीणा, मुकेश मीणा, विश्राम मीणा, सुखबाई, प्रहलाद मीणा आदि के राशन कार्डों में उचित मूल्य सामग्री गेहूं के वितरण का इन्द्राज दर्ज है एवं सभी उपभोक्ताओं के ऑनलाईन ट्रांजेक्शन में गेहूं का पॉस मशीन से फिंगर लगाकर वितरण किया गया है, किसी प्रकार को कोई गबन नहीं किया गया है। उपभोक्ता मुंशीलाल मीणा पुत्र प्यारेलाल फौत हो चुका है और उसकी पत्नी से इन्द्रा आवास के बहाने से उसके राशन कार्ड नं0 00192 की प्रति प्राप्त की गई, जिसके उपरांत प्रवर्तन अधिकारी ने मेरे हुए व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर करके जांच रिपोर्ट दि0 28.02.2023 को आधार बनाया गया है। कानूनन 90 दिनों के पश्चात निरस्त लाईसेंस स्वतः ही बहाल हो जाना चाहिये था, केवल 90 दिन तक ही प्राधिकार पत्र को निरस्त रखा जा सकता है, 90 दिवस के अन्दर प्राधिकार पत्र की जांच का फैसला करना होता है, 90 दिवस के उपरान्त स्वतः ही प्राधिकार पत्र बहाल हो जाता है। जैसा कि श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.09.2008 एवं 07.07.2009 में दिशा निर्देश दिये हुए है। लेकिन उसके बावजूद जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मिन अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण पांच माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।

"Raj Foodgrains & Other Ess. Art. (Regu. fo Distri.) Order 1976 के सैक्टर 8 के क्लॉज 2 के अनुसार "No order fo cancellation sall be made under this order unles the authorization holder has been given a resaonable opportunity fo stating his csae against the proposed cancellation but during the pendency or in contemplation of proceedings of cancellation of authorization, the authorization can be suspended for a period not exceeding 90 days without giving any opportunity to the authorization holder fo stating his csae."

जिला रसद अधिकारी, अलवर के यहाँ मिन अपीलान्ट के विरूद्ध किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं रही है। प्रकरण बनाने की नियत से प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मनमाने रूप में जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर आलोच्य निर्णय दिनांक 26.07.2023 पारित करते हुए अपीलान्ट का उचित मूल्य प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलान्ट वर्ष 2017 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 07 माह से अधिक समय से निरस्त चल रहा है जिससे अपीलान्ट को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उचित मूल्य सामग्री के वितरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलान्ट अपने व अपने परिवार की गुजर बसर करता है, जिस कारण से भी न्यायाहित में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना आवश्यक है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागारिक आपूर्ति विभाग के संशोधित आदेश, क्रमांक एफ.13(49)खा.वि./आवंटन/2015–II जयपुर दिनांक 24.03.2017 में क्रम संख्या 1 पर दर्ज किया गया है कि विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.08.2016 के विन्दु संख्या 1 की प्रक्रिया सामान्य रूप से विलोपित कर, दिनांक 01.04.2017 के उपरान्त राशन सामग्री POS का उपयोग कर ही भामाशाह आधार के माध्यम से बायोमैट्रिक अथवा ओ.टी.पी. सत्यापन के उपरान्त वितरित की जा सकेगी। उक्त आदेश की पालना में जिला रसद अधिकारी, अलवर एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मीटिंग करके समस्त राशन डीलरों को यह निर्देश दिये थे कि राशन डीलरों को उपभोक्ताओं को पॉस मशीन से वितरण करना है, यह ऑनलाईन वितरण व्यवस्था है, जिसमें राशन कार्ड में इन्द्राज करने की आवश्यकता नहीं है। जब भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड के आधार पर उपभोक्ता को पॉस मशीन में फिंगर प्रिन्ट के जरिये उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया जाता है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता के राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं हो पाता है, जिसमें मिन अपीलान्ट की कोई दुर्भावना नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश साईक्लोस्टाईल है, जो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। अधीनसथ न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब दि0 05.07.2023 का कोई विवेचन नहीं किया गया है। ना ही आलोच्य निर्णय करने से पूर्व साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर ही प्रदान किया गया है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ निर्णय देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जना चाहिए जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का एकपक्षीय आदेश दिनांक 28.02.2023 एवं दिनांक 26.07.2023 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकारी पत्र सं0 1742/2017 बहाल करते हुए उचित मूल्य सामग्री 1/3 भाग, ग्राम पंचायत परबैणी का उठाव एवं वितरण करने का आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि दिनांक 25.01.2023 को प्रवर्तक दल द्वारा जांच की गयी। भौतिक सत्यापन पर 4296 किलोग्राम गेहूं व 126.4 लीटर कैरोसीन कम पाया गया। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलांट के प्राधिकार पत्र को दिनांक 28.02.2023 को निलम्बित किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2023 को कारण बताओ नोटिस दिया गया। जिसका जवाब अपीलांट द्वारा दिनांक 25.07.2023 पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि0 26.07.2023 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय को प्राधिकार पत्र निलम्बन से 90 दिवस की अवधि में प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलांट द्वारा दिये गये जवाब में अंकित तथ्यों को भी दौहराया ना जाकर मात्र अंकित किया है कि "अप्रार्थी डीलर द्वारा आरोपों की पुष्टि में कोई स्पष्ट एवं उपयुक्त तथ्य जवाब में प्रस्तुत नहीं किये गये।" खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश दिनांक 18.10.2017 से यह स्पष्ट है कि "राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 एवं 9 के अन्तर्गत अधिकृत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उक्त आदेश के अंतर्गत प्राधिकार पत्र धारक के विरूद्ध प्राधिकार पत्र निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान या उनकी प्रत्याशा में ऐसे प्रकरणों में खण्ड–8 (II) के अंतर्गत अधिकतम 90 दिवस की अवधि तक प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकेगा। परन्तु सक्षम प्राधिकारी

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

द्वारा 90 दिवस अथवा प्राधिकार पत्र निलम्बन की अवधि जो भी कम हो, में प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना अनिवार्य होगा। यदि प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार पत्र निलम्बन की अंतिम तिथि तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं किया गया तो प्राधिकार पत्र धारक का प्राधिकार पत्र निलम्बन अवधि समाप्त होने के तुरन्त बाद बहाल माना जावेगा एवं प्राधिकार पत्र धारक नियमानुसार कार्य कर सकेगा" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलांट का प्राधिकार पत्र निर्धारित अवधि 90 दिवस में बहाल नहीं करते हुए विधि प्रकिया का उल्लंघन किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 26.07.2023 निरस्त किया जाता है। अपीलान्ट विनोद कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप बैरवा निवासी ग्राम परबैणी, उ.मू.दु. 1/3 भाग, ग्राम पंचायत परबैणी, तहसील रैणी जिला अलवर राज0 पॉस कोड 30193 का प्राधिकार पत्र संख्या 1742/2017 बहाल करते हुए राशन सामग्री उठाव एवं वितरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निर्णय की प्रति मय मूल रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर
अलवर (राज0)
राजस्थान